REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 12 | ISSUE - 7 | APRIL - 2023

भारतीय समाज में नारी शिक्षा का समाजशास्त्रीय अध्ययन

Prof. B. B. Gohil
Associate Professor,
Smt. B. V. Dhanak Arts, Commerce, Science and Management College,
Bagasara (Dist. Amreli).

सारांश

पत्र 'भारतीय समाज और नारी शिक्षा' पर आधारित है। इस चराचर जगत में सभी सभ्यताओं के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने से पता चलता है कि नारी का समाज में उतना सम्मान नहीं था जितना की उन्हें मिलना चाहिए था। फिर भी हिन्दू समाज में नारियोंका स्थान काफी महत्त्वपूर्ण था। जहाँ तक नारी शिक्षा का सवाल है इसकी दार्शनिकता समाज में देखने को मिलता है। इस अद्‌भुत घटना के रहस्य को हम भली प्रकार समझ सकते हैं। यदि हम इसे स्मरण रखें कि सुदीर्घ काल तक भारत में शिक्षा से तात्पर्य वैदिक शिक्षा से था तथा जो यज्ञों में सम्मिलित होते थे उन्हें बिना किसी लिंगभेद के वैदिक शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी।

मूल शब्द (Key Words): सभ्यता, शिक्षा, वैदिक काल, भिक्षुणियाँ, उपाध्याया.

प्रस्तावना

भारतीय समाज में नारियों का विशेष सम्मान रहा है। इन्हें सृष्टि के प्रारंभिक दिनों से ही कुछ अलग नजरिये से देखा गया है। वैदिक एवं सनातन धार्मिक रिवाजों के अनुसार इन्हें धार्मिक अनुष्ठान को सम्पन्न करने का अधिकार था। यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध है कि 200 ई. पूतक नारियों को वेदाध्ययन और यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। इनमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। ऋग्वदे के अनके मंत्रों की रचना कवियित्रियों ने की है। हिन्दू श्रुतियों के अनुसार भी ऋग्वदे में 20 कवियित्रियों की रचनाएँ हैं। उनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं–विश्ववारा, सिकता, निबावटी, घोषा, रोमशा, लोपामुद्रा, अपाला तथा उर्वशी। पत्नी के साथ ही पुरुष यज्ञ कर सकता था। यज्ञ के पूर्व पति–पत्नी दोनों को एक विशेष प्रकार का उपनयन करना पड़ता था। यज्ञ में समान रूप से सक्रिय रहना पड़ता था।

मौर्य काल के अन्त तक पत्नी को अकेले प्रतिदिन संध्या के समय कभी–कभी सबेरे भी गुह्य अग्नि में हविष देनी पड़ती थी। अग्रहायण विधि के स्रस्तरारोहण संस्कार में पत्नी को कई ''वैदिक–मंत्रों' का पाठ कराना पड़ता था। लवण–यज्ञ नारियाँ ही करती थीं क्योंकि अत्यन्त प्राचीन काल से यही परिपाटी चली आ रही थी। रामायण से पता चलता है कि कौशल्या रानी राम के युवराज पद पर अभिषेक के दिन प्रातःकाल से ही यज्ञ कर रही थीं। बालि के सुग्रीव से युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय उसकी पत्नी तारा भी यज्ञ कर रही थी। यह बात विशेष ध्यान में रखने की है कि इन दोनों को रामायण में ''मंत्रविद'' (वैदिक साहित्य के ज्ञाता) कहा गया है।

अतः लंका में रावण के बंदीगृह में जानकी के संध्या प्रार्थना से भी किसी को आश्चर्य न होना चाहिए। पाण्डवों की जननी कुन्ती अथर्ववेद की पंडिता थी।

वैदिक संध्या प्रार्थना और यज्ञों में वैदिक मत्रों का पाठ वही कर सकता है जिसका उपनयन हुआ हो। अतः आदिकाल में बालकों की भांति बालिकाओं का उपनयन भी स्वाभाविक ही था। इसके समर्थन में पर्याप्त प्रमाण भी मिलते हैं। अथर्ववेद (11–5–18) में कन्याओं द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ई. पू 500 तक के सूत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है। मनु ने भी लिखा है कि बालिकाओं के लिए उपनयन संस्कार अनिवार्य है (मनु 2–66)। यद्यपि ईसा की आरंभिक शताब्दियों से ही बालिकाओं का उपनयन बंद हो गया था किन्तु यम जैसे 8वीं शताब्दी तक के स्मृतिकारों ने स्वीकार किया है कि पूर्वकाल में बालिकाओं का भी उपनयन होता था।

वैदिक काल में बाल–विवाह का प्रचलन नहीं था। किन्तु विवाह के समय वधु वर से छोटी होती थी। अतः बालिकाएँ उतनी उम्र तक अविवाहित नहीं रह सकती थी जितनी उम्र तक युवक रहते थे। अधिकांश युवतियों का विवाह 16 या 17 वर्ष की आयु में हो जाता था। उस उम्र के बाद अध्ययन जारी रखने वाली युवतियाँ बहुत कम थीं। पहले वर्ग की लड़कियों को ''सद्योवधू'' तथा दूसरे वर्ग की लड़कियों को ''ब्रह्मवादिनी'' कहते थे। सद्योवधू को प्रार्थना और यज्ञों के लिए आवश्यक महत्त्वपूर्ण वैदिक मंत्र पढ़ा दिये जाते थे। संगीत और नृ यकला की भी शिक्षा उन्हें दी जाती थी। इन कलाओं के प्रति नारियों के पक्षपात की चर्चा वैदिक साहित्य में भी आयी है। ब्रह्मवादिनी युवतियां अध्ययन समाप्त कर लेने पर विवाह करती थीं। कुशध्वज ऋषि की कन्या देवदती जैसी कुछ बालिकाएँ ऐसी भी थीं जो आजीवन विवाह ही नहीं करती थीं। (रामायण 7–17)

ब्रह्मवादिनी विदुषियों की योग्यता विस्तृत और बहुमुखी थी। वैदिक काल में वे वैदिक साहित्य में पांडित्य प्राप्त करती थीं तथा मंत्रों की रचना भी करती थीं। इनके कुछ मंत्र वैदिक संहिताओं में भी सम्मिलित किए गये हैं। जब वैदिक ज्ञान और यज्ञ दुरूह हो गये तो तत्संबंधी अध्ययन के सिलसिले में एक नारी शाखा का विकास हुआ जिसे ''मीमांसा'' कहते हैं यद्यपि यह गणित से भी शुष्क विषय है तथापि विदुषियों को हम इसमें पर्याप्त रूचि लेते पाये गए हैं। काशकृत्स्नी ने मीमांसा पर एक पुस्तक रचना की थी जिसे उसी के नाम पर काशकृत्स्नी कहते हैं जो छात्राएँ इसका विशेष अध्ययन करती थी उसे काशकृत्स्ना कहते थे। यदि मीमांसा जैसे विशिष्ट व क्लिष्ट (टेकनिकल) विज्ञान का विशेष रूप से अध्ययन की थी। ये विशिष्ट अध्ययन करने वाली ब्राह्मणियां थीं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि साहित्यिक और सांस्कृतिक शिक्षा ग्रहण करने वाली नारियों की संख्या भी उस काल में पर्याप्त होगी।

उपनिषद् काल में जब दर्शन के अध्ययन का खूब प्रचार हुआ तो नारियाँ भी इस विषय में गंभीर रूचि लेने लगीं। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ऐसी ही नारी थी। वह वस्त्राभूषण में उतनी रूचि न लेती थी जितनी दर्शन के गंभीर समस्याओं में। जनक यज्ञ के अवसर पर जो दार्शनिक शास्त्रार्थ हुआ था उसमें गार्गी ने अपनी अद्भुत तर्क शक्ति से याज्ञवल्क्य जैसे महर्षि को चौंका तथा अपनी पृच्छाओं से उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे विद्वत समाज को स्तब्ध कर दिया। जबकि उत्तर रामचरित की आयेत्री भी ऐसी ही विदुषी थी जिसने वाल्मीकि तथा अगस्त्य से वेदांत की शिक्षा ग्रहण की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सुलमा, बढ़वा, प्राथितैयी, मैत्रयी और गार्गी जैसी इस काल की विदुषियों ने ज्ञान के विकास में बहुमूल्य कार्य किये। साथ ही ब्रह्म यज्ञ में जिन ऋषियों को नित्य तर्पण दिया जाता है उनमें इनकी भी गणना है।

सुदीर्घ काल तक परिवार ही एकमात्र शिक्षण संस्थान थी। यहाँ तक कि बालक भी परिवार में पिता, पितृव्य या भाई से शिक्षा ग्रहण करते थे। यही दशा बालिकाओं की भी रही होगी जो स्वाभाविक ही है। जब यम जैसे उत्तर काल के स्मृतिकार यह व्यवस्था दते हैं कि बालिकाओं को निकट संबंधी ही शिक्षा दे। तो सम्भवतः वे ईसा के प्रारंभ समय का यथार्थ वर्णन करते हैं क्योकि यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि आदिम काल में ऐसी दशा न थी। भारी संख्या में महिलाएँ उच्च शिक्षा ग्रहण करती थी तथा विद्या के विकास में महत्त्वपूर्ण दान कर रही थी, सम्भवतः उनमें से कुछ अध्यापक का कार्य भी अवश्य करती रही होंगी। संस्कृत साहित्य में उपाध्याया और उपाध्यायानी शब्दों की उपस्थिति इस कल्पना को बल प्रदान करती है। उपाध्यायानी उपाध्याय की पत्नी के लिए आदर्शसूचक शब्द है। यह कोई जरूरी नहीं था कि उपाध्याय की पत्नी विदुषी ही हो। किन्तु उपाध्याया शब्द का तात्पर्य तो महिला शिक्षिकाओं से ही है।

महिला शिक्षिकाओं को पुरुष शिक्षकों की पत्नियों से पृथक करने के लिए एक अलग शब्द गढने की आवश्यकता पड़े तो इसका अर्थ है कि समाज में उनकी संख्या कम न थी। इस सिलसिले में स्मरणीय है कि ईसा की 12वीं शताब्दी तक हिन्दू समाज में पर्दे की प्रथा न थी। अतः महिलाओं के लिए अध्यापन करने में कोई कठिनाई न थी। संभवतः उपाध्याएँ छात्राओं को ही पढ़ाती थीं। हो सकता हे कुछ उपाध्याएँ बालकों को भी पढ़ाती रही हो। पाणिनी छात्रशालाओं का उल्लखे ा करते हैं। संभवतः उपाध्याएँ ही इनकी संरक्षिकाएँ थीं। दुर्भाग्यवश इन उपाध्यायाओं और छात्राशालाओं के संबंध में अधिक विवरण उपलब्ध नहीं है।

आधुनिक काल के पाठकों को यह जानने की बड़ी इच्छा है कि क्या भारत में सहशिक्षा का प्रचार था? किन्तु इस प्रश्न पर हमारे ग्रंथों में बहुत कम प्रकाश डाला गया है। भवभूति का मालतीमाधव 8वीं शताब्दी की रचना है इस नाटक से विदित होता है कि 'कामनदकी' की शिक्षा–दीक्षा भूरिवसु तथा देवराट के साथ–साथ एक ही पाठशाला में हुई थी। इससे सिद्ध होता है कि यदि भवभूति के समय में नहीं तो उनसे कुछ शताब्दियों पूर्व बालिकाएँ बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करती थीं।

उत्तररामचरित में भी हम आयेत्री को कुश और लव के साथ वाल्मीकि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हुए पाते हैं। पुराणों में वर्णित कहोद और सुजाता, रूहू और प्रेमदवरा की कथाओं से भी ज्ञान होता है कि बालिकाओं का विवाह काफी सयानी होने पर होता था और वे पाठशालाओं में बालकों के साथ–साथ पढ़ती थीं। परिणामस्वरूप कभी–कभी गान्धर्व विवाह भी होते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि जब समाज में योग्य उपाध्याएँ उपलब्ध हो जाती थीं, लोग अपनी बालिकाओं को उन्हीं के संरक्षण में अध्ययनार्थ भेज देते थे किन्तु यदि ऐसी उपाध्याएँ उपलब्ध न होती तो बाध्य होकर उन्हें आचार्यों के पास पुत्रियों को शिक्षा–दीक्षा के लिए भेजना पड़ता था। जिस काल में गान्धर्व विवाह असामान्य नहीं था। सहशिक्षा से अभिभावकों को भड़कने की कोई बात न थी। प्रतिशत कितनी छात्राएँ सहशिक्षा ग्रहण करती थीं, इस प्रश्न का निश्चित रूप से कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। किन्तु यह संख्या अधिक न रही होगी।

आलोच्य काल में नारी शिक्षा का परिणाम क्या था, बतलाना कठिन है। वैदिक साहित्य में ऐसे माता–पिताओं का भी उल्लेख आया है जो विदुष ाी पुत्रियों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ करते थे; जिनकी अवस्था वैदिक साहित्य में है। अतः स्पष्ट है कि उस काल में ऐसे लोगों (जवकों) की संख्या कम न थी जो अपनी पुत्रियों को सुसंस्कृत और सुशिक्षित दखे ाने के लिये उत्सुक थे। अतः साधारण सम्पन्न परिवारों में महिला शिक्षा उपेक्षित न रही होगी। बालिकाओं के लिए भी उपनयन आवश्यक था। अतः सम्पूर्ण आर्य कन्याओं को कुछ न कुछ वैदिक और साहित्यिक शिक्षा अवश्य मिलती रही होगी। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जिस काल में बालिकाओं का उपनयन होता था और अल्प आयु में ही उनका विवाह नहीं हो पाता था। सम्पन्न परिवारों में नारी–शिक्षा प्रचूर परिमाण में प्रचलित थी।

स्त्रियों में धार्मिक अधिकारों में ह्रास के कारण इस काल में नारी–शिक्षा में गिरावट आयी। पूर्णकाल में बालिकाओं का उपनयन उतना ही आवश्यक था जितना बालकों का। स्त्रियों के उपनयन समाप्त हो जाने का उनके धामिर्क अधिकारों पर बुरा असर पड़ा। उन्हें शुद्रों के समान तथा वेदोच्चार और यज्ञों में अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब वे गृह–युद्धों में पत्नी आरै पति के सहयोग केवल दिखावा मात्र रह गया। भारत में अंग्रेजों के आगमन काल तक उच्च क्षत्रिय परिवारों में बालिकाओं को सैनिक शिक्षा दने की परम्परा थी। 1446 ई. में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेते हुए हरियक्का नामक एक
महिला वीरगति को प्राप्त हुई थी। मराठा और राजपूत खानदानों में राजकुमारियाँ प्रायः तलवार और भाले चलाना जानती थीं।

मध्यकाल में नारियों के शिक्षा पर प्रतिबन्ध था। इस काल में शिक्षा के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों में भी नारियों पर पूर्णतः पाबन्दी लगा दी गयी तथा वे लोग घर की चहारदिवारियों में ही सिमट कर रह गयी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद इसमें कुछ नरमी आयी तथा नारियों को थोड़ी बहुत सांस लने का यानि राहत का मौका मिला। अंग्रेजों ने नारी शोषण के खिलाफ काननू बनाया। शुरू में परपं रावादी सोच रखने वालों ने विरोध किया पर वे विरोध कुछ दिनों में ही समाप्त हो गये। अंग्रेजों ने सबों के लिए बिना भेदभाव के शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया भले ही इसमें उनकी मश ा जो भी रही हो। नारी और पुरुषों के शिक्षा में ही कोई भेदभाव नहीं किया। दोनों को उसने समान अवसर प्रदान किया।

निष्कर्ष

इस प्रकार स्पष्ट है कि नारियों में शिक्षा का प्रसार एवं प्रचार होने से उनमें काफी जागरूकता आ गयी है और उनके जीवनशैली में महत्त्वपूर्ण बदलाव आया है। नारियाँ अब इसी शिक्षा के कारण महत्त्वपूर्ण मसले पर रायशुमारी भी करने लगी हैं। इसी शिक्षा के कारण इन लोगों में पारिवारिक जीवन में भी महत्त्वपूर्ण बदलाव आया है तथा घर का माहौल बदला है जिससे आने वाली पीढ़ी पर महत्त्वपूर्ण असर पड़ा है तथा उसके विकास में विशेष सहायक बना है।

नारी अब शिक्षित होने के साथ–साथ आर्थिक विकास में भी सहयोगी बनी। वे अपने को विभिन्न व्यवसायों एवं रोजगारों में लगाने लगी जिससे घर की आर्थिक स्थिति में साथ–साथ दृढ़ता भी आने लगी। शिक्षित एवं योग्य नारी आज उच्च पदों पर सुशोभित है।

आजादी के बाद आज हम अपनी दृष्टि जिस ओर करते हैं तो वहाँ नारी की संख्या विराजमान है। आज हमारे समाज के बीच की नारियाँ ही डॉक्टर, वकील, न्यायाधीश, शिक्षक, प्राध्यापक, समाजसेवी राजनीतिज्ञ आदि की भूमिकाएँ बखूबी निभा रही हैं तथा अपनी दायित्वों की पूर्त्ति कर रही हैं। साथ ही पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में सहायक हो रही हैं।

संदर्भ सूची

1. शतपथ ब्राह्मण : 5.1, 6–0, 'अयज्ञियों वा एव यो पत्नीक'
2. तैत्तिरीय ब्राह्मण 8–3–3
3. ऋग्वेद, 8.31, या दम्पति सु मनसा आ च धावतः। देवा सो नित्यया शिरा।
4. गोभिल गृह्यसूत्र, बिब्लियोथिका इंडिका सीरीज में 'पत्नी'शब्द से यज्ञों में नारी का उसके पति के साथ सम्बन्ध प्रकट होता है। पत्युर्नो यज्ञसंयोगे। पाणिनी 4–3–33
5. पराशर गृह्यसूत्र : 3–2, तथा हरिहर की टीका, गुजराती प्रेस संस्करण, 1917
6. पा. गु. सू. – 2–20, स्त्रियश्चोपयजेरम्ना चरितत्वात्
7. बाल्मीकि रामायण, 2.20.15
8. ततः स्वस्त्ययन कृत्वा मन्त्रविद्विजयैषिणी 14–16–12
9. बाल्मीकि रामायण, 5–15, 48
10. शतपथ ब्राह्मण, 3–2, 4.6
11. वृहद् उपनिषद् 2–4; 4–5, 'सा होवाच', मैत्रेयी
12. पूर्वोक्त, 3–6, 1
13. बाल्मीकि पार्श्वादिह संचरामि, अंक–2
14. अश्वलायन गृह्य सूत्रम, 3–4.4
15. पिता पितृव्यो भ्राता वा नैनाभध्यापपेत् परः
16. पतंजलीः महाभाष्य, संपादक एफ. कीलहार्न, बम्बई, 3–8.2
17. छांयादयः शालायाम्, 16–2–58
18. वृहद उपनिषद, 6–4, 17
19. ए. एफ., भाग–7, शिकारपुर, सं.–2

Prof. B. B. Gohil
Associate Professor,
Smt. B. V. Dhanak Arts, Commerce, Science and Management College,
Bagasara (Dist. Amreli).